छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 903/2008

1. श्री रामाश्रय सिंह, – *अपीलार्थी*
शांति नगर वार्ड, दुर्गा मंदिर के पास,
जगदलपुर, जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय आयुक्त, नगरपालिका निगम, जगदलपुर
जिला–बस्तर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 25 मई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री रामाश्रय सिंह द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 29.04.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय आयुक्त, नगरपालिका निगम, जगदलपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 05.06.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर आयुक्त के निर्देश के बाद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 12.08.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रकरण की सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रथम अपील प्राप्त होने के बाद आयुक्त, नगर पालिका निगम, जगदलपुर ने दिनांक 15.07.2007 को श्री वानखेडे, उपयंत्री तथा श्री अमर सिंह चौहान, उपयंत्री, नगर पालिका निगम, जगदलपुर को तीन दिवस में जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे, किन्तु उसके बाद भी जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराने के कारण उक्त दोनों अधिकारियों के विरूद्ध अधिनिमय की धारा–20(1) के अन्तर्गत दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, उसके बाद तीन सुनवाई दिनांक को इन दोनों अधिकारी न तो सुनवाई के समय उपस्थित हुये और न ही उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया, केवल सहायक जन सूचना अधिकारी ने उपस्थित होकर एक अधिकारी के अवकाश पर होने बताया, किन्तु यह कोई संतोषप्रद कारण नहीं है। इस अपील प्रकरण से यह स्पष्ट होता है कि श्री अमर सिंह चौहान एवं श्री वानखेडे दोनों उपयंत्री, कार्यालय आयुक्त, नगरपालिका निगम, जगदलपुर के द्वारा सूचना का अधिकार और उसके आवेदनों के प्रति लापरवाही और गैर–जिम्मेदाराना रवैया रहा है और इसी कारण अपीलार्थी श्री रामाश्रय सिंह को आयुक्त के निर्देश के बावजूद जानकारी नहीं दी गई है, अतः श्री वानखेडे एवं श्री चौहान दोनों उपयंत्री के विरूद्ध अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत राशि 2500–2500/– रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत आयुक्त, नगरपालिका निगम, जगदलपुर को यह भी अनुशंसा की जाती है कि इन दोनों अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

आयुक्त, नगर पालिका निगम, जगदलपुर को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी उन्हें 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे। साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगरपालिका निगम की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com